

प्रपत्र – 23

(नियम 85 देखिये)

निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करता/करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है : –

अधिसूचना संख्या–

दिनांक...../2015

जिला : रामगढ़।

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् जिससे पद सम्बन्धित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
विशाल करमाली	मुखिया	अनुसूचित जन जाति	अन्य	XVI रामगढ़/06/01/हेसापोड़ा
सुरेश कुमार रजक	मुखिया	अनुसूचित जाति	अन्य	XVI रामगढ़/06/02/रकुवा
लखीमनी देवी	मुखिया	अनुसूचित जन जाति	महिला	XVI रामगढ़/06/03/सुतरी
दयानंद प्रसाद	मुखिया	अनारक्षित	अन्य	XVI रामगढ़/06/04/मगनुपर
ताज बीबी	मुखिया	अनारक्षित	महिला	XVI रामगढ़/06/05/चाड़ी
कुलदीप साव	मुखिया	अनारक्षित	अन्य	XVI रामगढ़/06/06/बन्दा
आनन्द कुमार महतो	मुखिया	अनारक्षित	अन्य	XVI रामगढ़/06/07/हुप्पु
सुबाला देवी	मुखिया	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	XVI रामगढ़/06/08/बरियातु
किरण देवी	मुखिया	अनारक्षित	महिला	XVI रामगढ़/06/09/साड़म
ठाकुर रविशंकर सिंह	मुखिया	अनुसूचित जन जाति	अन्य	XVI रामगढ़/06/10/कोराम्बे
कामेश्वर महतो	मुखिया	अनारक्षित	अन्य	XVI रामगढ़/06/11/पूरबडीह
सुषमा देवी	मुखिया	अनुसूचित जाति	महिला	XVI रामगढ़/06/12/गोला
ललीता देवी	मुखिया	अनारक्षित	महिला	XVI रामगढ़/06/13/कुम्हरदगा
बजरंग कुमार महथा	मुखिया	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	XVI रामगढ़/06/14/सोसोकला
रूपा देवी	मुखिया	अनुसूचित जन जाति	महिला	XVI रामगढ़/06/15/चोकाद
मुन्नी किशोर महतो	मुखिया	अनारक्षित	महिला	XVI रामगढ़/06/16/बेटुलकला
सीमा देवी	मुखिया	अनारक्षित	महिला	XVI रामगढ़/06/17/संग्रामपुर
रायमनी देवी	मुखिया	अनुसूचित जन जाति	महिला	XVI रामगढ़/06/18/नावाडीह
कपलेश्वर महतो	मुखिया	अनारक्षित	अन्य	XVI रामगढ़/06/19/सरगडीह
जयपाल सिंह मुण्डा	मुखिया	अनुसूचित जन जाति	अन्य	XVI रामगढ़/06/20/उपरबरगा
विद्या कुमारी बेदिया	मुखिया	अनारक्षित	महिला	XVI रामगढ़/06/21/बरलंगा

स्थान : समाहरणालय, रामगढ़।

तारीख : 21/12/2015

ह0/— (अस्पष्ट)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

—सह—उपायुक्त, रामगढ़।

टिप्पणी : –

- यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब “अनारक्षित” का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में “महिला” शब्द का उल्लेख किया जाये।
यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब “अन्य” शब्द का उल्लेख किया जाये।